केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Central Sanskrit University
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)
(Established by An Act of Parliament)
जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)
Jaipur Campus, Jaipur (Rajasthan)

नियम एवं शर्ते

1. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर में रूपक महोत्सव दिनांक 06 से 09 मार्च 2024 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए खान पान सेवायें (सुबह का नाश्ता – छोले–पुरी/इडलीवडा–सांभर/उपमा/परांठा–दही/सूजी हलवा–पकोड़ी/ अचार/बेड़वी पुरी–आलू की सब्जी), चाय, दोपहर का भोजन– दाल, रोटी, मिक्स सब्जी/सीजनल सब्जी/रायता–पूड़ी/कड़ी पकोड़ा/गट्टा–कड़ी–चावल/पापड़–सलाद/मिठाई–मूंगदाल हलवा/गाजर हलवा/गुलाबजामून /खीर/पकोड़ी/टिपोरे/चूरमा लड्डू। रात्रि का भोजन– दाल–रोटी/मिक्स सब्जी/ चावल/अचार–पापड़– सलाद/मिठाई – मूंगदाल हलवा/गाजर हलवा/गुलाबजामुन/खीर) आवश्यक है। (इस समारोह में भाग लेने के लिए एक दिन पूर्व दिनांक 5 मार्च 2024 को छात्र बाहर से आ जायेंगें तथा एक दिन बाद तक अर्थात दिनांक 10 मार्च 2024 को प्रस्थान करेंगें)। अतः व्यवस्था एक दिन पूर्व से प्रारम्भ करनी होगी।
2. रूपक महोत्सव के लिए लगभग 750 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की संभावना है।
3. ब्याना राशि 50000/–रूपये अनुमानित राशि का लगभग 2 प्रतिशत का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो कि 'केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर' के नाम से हो, जमा करवाया जाना आवश्यक है। डिमाण्ड ड्रॉफ्ट के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। असफल निविदादाता द्वारा जमा करवाये गये ड्रॉफ्ट लौटा दिये जायेंगें।
   (1) फर्म/व्यक्ति के पास फूड लाईसेन्स का प्रमाण पत्र
   (2) फर्म/व्यक्ति का जी एस टी रजिस्ट्रेशन नम्बर
   (3) फर्म/व्यक्ति का पैन नम्बर
4. फर्म के पास पिछले तीन वर्षो में टर्नओवर 20 लाख रूपये का होना चाहिए। इसके लिए पिछले तीन वर्षो की ऑडिट अकाउन्ट/इनकम टैक्स रिटर्न संलग्न करनी होगी।
5. सफल निविदा दाता को 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि (स्वीकृत दर का पॉच प्रतिशत) निविदा खुलने एवं आदेश जारी होने के तीन दिवस में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के नाम से हो, जमा करवाया जाना आवश्यक है।
6. फर्म द्वारा मिठाई बनाने के लिए ब्रांडेड देसी घी (सरस/अमूल) तथा ब्रांडेड मूँगफली तेल का उपयोग किया जाना होगा।
7. आगन्तुकों को भोजन खिलाने के लिए परिसर द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा।
8. भोजन खिलाने के लिए टेबल मय कवर एवं कुर्सी की व्यवस्था फर्म को अपने स्तर पर करनी होगी।
9. भोजन पत्तल–दोने में परोसना होगा। जिसके लिये अच्छी क्वालिटी के पत्तल, दोने एवं चम्मच की व्यवस्था फर्म को अपने स्तर पर करनी होगी। झूठे पत्तल–दोने आदि फर्म द्वारा अपने मसालची से उठवाना होगा जिसको एकत्र कर काली थैली में पैक कर परिसर से बाहर भिजवाना होगा।
10. खाने वाले स्थान पर पर्याप्त मात्रा में मिनरल वाटर एवं डिस्पॉजल गिलास एवं कैम्पर मय डिसपेंसर उपलब्ध करवाने होंगे।

11. फर्म के पास कम से कम तीन से पाँच वर्षो के खान–पान सेवायें संचालित करने का अनुभव होना आवश्यक है। न्यूनतम 1000 से 1500 लोगों के लिए दीक्षांत समारोह/युवा समारोह/सरकारी समारोह में भोजन की व्यवस्था आदि का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
12. यदि फर्म को किसी संस्था द्वारा उनके कार्य के लिए (खाने एवं सेवाओं की गुणवत्ता के लिए के लिए) सम्मानित किया गया है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13. फर्म द्वारा भोजन तैयार करने एवं परोसने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।
14. भोजन को पूरा करने, परोसने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेटर, सहायक, पर्यवेक्षक का होना आवश्यक है।
15. फर्म द्वारा पर्याप्त मात्रा में भोजन तैयार किया जाना आवश्यक है।
16. भोजन थाली की गणना के लिए परिसर द्वारा नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि के भोजन के लिए आगन्तुकों को टोकन उपलब्ध करवाये जायेंगें। जिनकी गणना के अनुसार ही नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि के भोजन का भुगतान देय होगा।
17. आग लगने तथा कच्चे माल/तैयार माल सामग्री की चोरी के संबंध में सभी सुरक्षा उपाय करने होंगें।
18. जी. एस. टी./टी. डी. एस. या कोई अन्य कटौती नियमानुसार की जायेगी।
19. फर्म का किचन/कार्यालय जयपुर में स्थित होना चाहिए। समिति के सदस्य सुविधाओं का दौरा कर सकते हैं और उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट होने चाहिए। यदि समिति के सदस्य उपलब्ध किचन/कार्यालय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो समिति के सदस्यों को निविदा को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
20. भोजन सामग्री के परोसने के दौरान अनावश्यक देरी होने पर जुर्माना खंड जी एफ आर के अनुसार लागू होता है जो कार्य आदेशों के 10 प्रतिशत तक होगा।
21. बिन्दु संख्या 3 एवं 4 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज के बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत करें।
22. नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि के भोजन टोकन प्रस्तुत करने पर ही खिलाना होगा तथा नाश्ता एवं भोजन आदि टोकन की गणना के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
23. यदि परिसर को भोजन के पैकेट की आवश्यकता हुई तो इसकी संख्या पूर्व में सूचित कर दी जायेगी।
24. भोजन की गुणवत्ता उचित नहीं पाये जाने पर स्वीकृत दर का 30 प्रतिशत कटौती की जायेगी।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में परिसर द्वारा निर्धारित समिति का निर्णय अंतिम होगा।
26. निविदा स्वीकृति के पश्चात् निविदाकर्ता को 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
27. निविदाकर्ता द्वारा केटरिंग में तैनात कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। अतः कर्मचारी वर्दी में ही रहेंगे।
28. निविदाकर्ता अनुबन्ध की अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि बीच में कार्य छोड़ा तो नवीन ठेके से संस्थान को होने वाली क्षति की वसूली निविदाकर्ता से की जायेगी।
29. निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उसका ठेका पूर्व सूचना देकर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर द्वारा समाप्त किया जा सकता है और उसकी प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।

30. बिना कारण बताये निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर को होगा।
31. ठेके की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में निदेशक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर का निर्णय मानने हेतु निविदाकर्ता बाध्य होगा और इस सम्बन्ध में उसको कोई आपत्ति नहीं होगी।
32. निविदा स्वीकार हो जाने पर कार्यकारी आदेश का पालन नहीं किया तो निविदा प्रतिभूति शुल्क रूपये 50,000/– (पचास हजार) रूपये जब्त कर लिये जायेंगे तथा प्रथम स्वीकृत निविदा के बाद आगामी निविदाकर्ता को कार्यकारी आदेश जारी किया जायेगा।
33. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एवं बार–बार लापरवाही एवं अनियमितता के फलस्वरूप अपराध आरोपित किये जाने की दशा में निविदादाता को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं आगामी निविदा में भाग लेने से रोका जा सकेगा।
34. भोजन परोसने के लिए परिसर द्वारा अपने स्वयंसेवक उपलब्ध करवाये जायेंगे।
35. भोजन के लिए उपयोग की जाने वाले मसाले/सब्जी आदि ताजे लाकर उपयोग करना होगा।
36. फर्म के कर्मचारी मद्यपान–धूम्रपान किये जाने वाले नहीं होने चाहिए।
37. निविदा फॉर्म 1000/– (एक हजार) रूपये कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक